Indian Journal of Commerce, Business & Management (IJCBM)
A Peer Reviewed Research journal of Commerce, Business & Management

ISSN : 3108-057X (Online)
3108-1282 (Print)
Vol.-1; Issue-2 (Oct.-Dec.) 2025
Page No.- 54-58
©2025 **IJCBM**
https:// ijcbm.gyanvividha.com

Author's :
डॉ. राम मिलन द्विवेदी
सह- प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग,
श्रीकृष्णा विश्वविद्यालय
छतरपुर, मध्य प्रदेश.

Corresponding Author :
डॉ. राम मिलन द्विवेदी
सह- प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग,
श्रीकृष्णा विश्वविद्यालय
छतरपुर, मध्य प्रदेश.

भारतीय न्याय व्यवस्था में न्यायिक विलंब और उसका सामाजिक-आर्थिक प्रभाव- एक अध्ययन

सारांश : प्रस्तुत शोध पत्र में न्याय में विलंब का अध्ययन भारतीय परिप्रेक्ष्य में किया गया है। जो वर्तमान समय में एक गम्भीर चुनौती है। जो न केवल संबंधित व्यक्ति पर प्रभाव डालती है बल्कि देश व समाज के अन्य पहलुओं पर भी असर डालती है। यदि पक्ष कारों को समय से न्याय नहीं मिलता तो उसका महत्व एवं प्रभाव कम हो जाता है। वर्तमान समय में राष्ट्र में एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 5 करोड़ से अधिक मामले विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। जिसमें दीवानी, भूमि विवाद, आपराधिक मामले और सरकारी अपीले, प्रमुख हैं। न्यायिक विलंब के कई कारण है-जिसमें जजों की कमी न्यायालय में बुनियादी सुविधाओं का अभाव कठिन कानूनी प्रक्रिया गवाहों का समय पर उपस्थित न होना। अनावश्यक स्थगन सरकार की ओर से अधिक अपीले डिजिटल तकनीकी का अपर्याप्त उपयोग आदि। इन समस्याओं के कारण मुकदमे को निपटने में कई-कई वर्षों लग जाते हैं।

सामाजिक व आर्थिक दृष्टिकोण से न्याय में विलंब पीड़ित पक्षकारों में मानसिक दबाव सामाजिक कलंक और अविश्वास को बढ़ाता है। विलंब अपराधियों को दंड से बच निकलने की संभावना पैदा करता है। आर्थिक दृष्टिकोण से लंबित मामले व्यावसायिक लेनदेन इन्वेस्टमेंट और आर्थिक क्रियोओं में असमंजस पैदा करता है। जिस वजह से देश में आर्थिक गतिविधि मंद पड़ जाती है। जमीन व संपत्ति के मामलों में पूंजी कई वर्षों तक आप्रयोज्य पड़ी रह जाती है। इन समस्याओं के समाधान हेतु न्याय संसाधनों में वृद्धि प्रक्रिया में सुधार विवाद निपटान हेतु नई प्रणाली विकसित करना एवं न्याय में भ्रष्टाचार को समाप्त करना समय से न्याय सुलभ कराना यह न केवल व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता है। बल्कि देश के लोकतंत्रात्मक व्यवस्था तथा आर्थिक प्रगति को मजबूत करता है।

प्रमुख शब्द- न्याय, विलंब, सामाजिक, आर्थिक, व्यवस्था, प्रभाव, मामला।

परिचय : विलंब हर जगह अच्छा नहीं होता हर कार्य को समय से पूरा होना चाहिए। फिर जहां न्याय की बात हो उसमें विलंब लोगों के जीवन को संकट में डाल देता है। भारत में न्याय में देरी बहुत बड़ी समस्या है। यदि न्याय में विलंब की बात करें तो यह वह स्थित है जब लोग परेशान होकर न्यायालय के पास जाते हैं और उन्हें सही समय पर न्याय नहीं मिल पाता कई महीनो व वर्ष नहीं कभी-कभी संबंधित व्यक्ति का पूरा जीवन ही समाप्त हो जाता है। यह बहुत ही जटिल समस्या है। करोड़ मामले अदालतों में कई वर्षो से विचाराधीन पड़े हैं। कई बार तो देश की सर्वोच्य न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों को कहना पड़ता है कि न्यायधीशों को यह समझना चाहिए कि किसी को न्याय देना केवल नौकरी नहीं है। बल्कि न्याय देने हेतु एक मिशन है। हर समाज में व्यक्तियों के बीच समूहों के बीच विवाद होता है। लोग न्याय हेतु न्यायालय जाते हैं परंतु न्याय में बहुत देरी लगती है। लोगों का सामाजिक व आर्थिक जीवन तवाह होता है। बार-बार न्यायालय में प्रतिवादियों की उपस्थिति से उनके धन का अपव्यय होता है। व उनकी सामाजिक जिम्मेदारी भी प्रभावित होती है। समय से न्याय न मिलना न्याय न मिलने के ही बराबर है। मामले पंजीकृत होने से निर्णय तक लेकर एक लंबा समय लगता है, जिससे व्यक्ति का धैर्य साहस खत्म होने लगता है। कई बार न्याय में देरी की वजह से अप्रिय घटनाएं भी घटित हो जाती हैं। यदि वर्तमान समय में देखा जाए तो भारत में लगभग 5.3 करोड़ मुकदमे विभिन्न न्यायालयो में विचाराधीन है। इसमें सबसे ज्यादा संख्या जिला अदालतों में लंबित मुकदमों की है।

अध्ययन का उद्देश्य :

1. भारत में न्याय में देरी के कारणों को उजागर करना।
2. न्याय में बिलंब के संस्थागत एवं संरचनात्मक समस्याओं का विश्लेषण करना।
3. सम्भावित समाधान एवं सुझाव प्रस्तुत करना।

महत्व :

1. न्याय में देरी से उसकी गुणवत्ता एवं पहुंच दोनो ही अत्यधिक कमजोर हो जाते है।
2. कमजोर न्याय प्रणाली लोगों के विश्वास, आर्थिक क्षति, और समाज में समाजिक प्रतिष्ठा को कम करता है।

शोध पद्धति एवं समंक : यह एक विश्लेषणात्मक शोध है। इसमें द्वितीय समंकों का समावेश किया गया है। समय-समय पर प्रकाशित सरकारी दस्तावेज, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट, अभियोजन निदेशालय की सूचना, पुलिस विभाग के रिकॉर्ड आदि एवं कुछ जानकारी के लिए व्यक्तिगत अनुभव भी लोगों से प्राप्त किए गए हैं। 2015 से 2025 के समायावधि के बीच के समंको का प्रयोग किया गया है।

वर्तमान स्थिति : वर्तमान समय में देश में कुल लंबित मुकदमें (2025) 5.4 करोड जिला न्यायालयों एवं उनके अधिनस्त न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या सबसे अधिक 4.5 करोड है। उच्च न्यायालयों में 61 लाख देश के सर्वोच्य न्यायालय में 80 हजार से अधिक मामले विचाराधीन है।

न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात : 15-20 न्यायाधीश प्रति 10 लाख आवादी पर है, मानक की बात करे तो कम से कम 50 जज होना चाहिये 10 लाख की आबादी पर।

न्यायिक विलंब संरचनात्मक और संस्थागत समस्या : देश में न्याय में विलंब के लिए केवल कुछ प्रतिक्रियाएं ही जिम्मेदार नहीं है। बल्कि यह संरचनात्मक और संस्थागत समस्या बन चुकी है। जो लोगों को न्याय तक पहुंचने के मार्ग में बाधा डालती है। साथ ही साथ लोगों के न्याय व्यवस्था में विश्वास को कम करती है, जिससे समाज में असंतोष बढ़ता है। लोगों के धन का नुकसान यह सब कहीं न कहीं देश की संरचनात्मक क्षमताओं और संस्थागत विफलताओं को भी उजागर करता है।

सर्वप्रथम बात करें न्याय प्रणाली में संरचना की कमजोरी की तो पाते हैं कि देश में इतनी अधिक जनसंख्या

के हिसाब से न्यायाधीशों की संख्या बहुत ही काम है। देखा जाए तो यह संख्या प्रति 10 लाख जनसंख्या पर मात्र 16 से 22 न्यायाधीस ही कार्य कर रहे हैं। जबकि उच्चतम न्यायालय व भारत का विधि आयोग भी यह बात कह चुका है कि कम से कम 10 लाख की आबादी पर 50 न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिए परंतु ऐसा नहीं हो पा रहा है। न्यायालय में पदों का रिक्त होना भी न्याय में देरी का कारण बन रहा है, यदि औसतन रूप से देखा जाए तो उच्च न्यायालय में लगभग 29% और जिला अदालतों में 25 से 28% पद कई वर्षों से खाली पड़े हैं यह स्थिति न्यायाधीशों की कार्य कुशलता में मानसिक व प्रशासनिक दबाव में वृद्धि करती है, जिससे समय पर निर्णय में गति नहीं आ पाती और गुणवत्ता में भारी प्रभाव पड़ता है।

संस्थागत समस्या के अर्न्तगत न्यायालयों का अत्यधिक केन्द्रीकरण, कार्य करने में पारदर्शिता का अभाव,एवं प्रक्रिया में तकनीकि कुशतला की कमी मुख्य है। विशेष रुप से जहां जिला न्यायालयों में 80 प्रतिशत से अधिक मामले लंबित है। वहां जरुरी प्राथमिक ढाचा, अनुभवी कर्मचारी और डिजिटल तकनीकी की बहुत कमी है। ज्यादातर अदालतों में आज भी फाइलें मैन्युअली ही रखी जाती है। जिससे फाइलें कभी-कभी गुम भी हो जाती है। तथा तारीखों में भ्रम जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, जहां पर डिजिटली सुविधा उपलब्ध भी है, वहां कर्मचारियों के लापर्वाही के कारण सही तरीके से उनका उपयोग नही हो पा रहा है। इसके अलावा न्यायिक समय का एक बडा हिस्सा न्याय के इतर कार्यो में लग जाता है। जिसमें सरकारी फाइलों की समीक्षा, चुनाव ड्यूटी आदि ये सब स्थितियां स्थाई रुप से प्रशासनिक बोझ उत्पन्न करती है। जो कही न कही न्याय की गति में अवरोध उत्पन्न करती है।

देश में कानूनी प्रक्रियाएॅ स्यम में भी अधिक जटिल और लोच वाली है। जैसे- दीवानी प्रक्रिया (cpc) दंड प्रक्रिया संहिता (crpc) आदि में तमाम दलीले,स्थगन एवं अपीलों की अनुमति होती है। जिनका उपयोग करके पक्षकार कई वर्षो तक मामले को लंबित रखे रहते है। कई बार अभियोजन एवं वकील भी जानबूझ कर मुकदमों में देरी करवाते है, ताकि पक्ष कारों से अतिरिक्त लाभ उठाया जा सके। इन्ही कारणों की वजह से एक साधारण से साधारण मुकदमें को भी 10-20 वर्षो तक लंबित रखा जा सकता है। जिससे पीडित पक्ष को सामाजिक, मानसिक, आर्थिक, एवं शारीरिक रुप से नुकसान होता है। संस्थागत समस्याओं के अन्तर्गत सरकार के द्वारा छोटे-छोटे मामलों में भी मामला न्यायालय ले जाना न्यायिक बिलंब को बढाने वाला एक कारण है। यदि आकडों की बात करे तो लगभग 55 प्रतिशत मामलों में कही न कही सरकार या तो वादी है, या प्रतिवादी है, सरकारी लोग मामले को टालते हरते है। जिम्मेदारी से सरकार का पक्ष नही रखते जिससे अनावश्यक बिलंब होता है। कभी-कभी तो सरकार की तरफ से सरकारी गवाह वने अधिकारी व कर्मचारी अदालत में कई बार बुलाने के बाद भी गवाही देने नही आते,जिस वजह से मामला अंतिम निर्णय तक नही चहुच पाते है। भारत में न्याय में मध्यस्थता का बहुत बडा रोल होता था पहले लोग आपस में ही मध्यस्था के माध्यम से मामले को निपटा लेते थे, किन्तु वर्तमान में यह प्रणाली विफलता की ओर है। सरकार की ओर से (ADR) का प्रयोग किया जाता है। किन्तु इसका योगदान बहुत सीमित है,कई देशों में ADR के द्वारा छोटे-मोटे मामलें न्यायालय से बाहर की समाप्त करने का प्रतिशत लगभग 60-70 प्रतिशत है। लेकिन भारत में यह बहुत कम है।

न्यायिक संरचना में स्पेशल न्यायालय एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी दायरा सीमित है। जिससे संस्थागत विलंब बढ़ता है, महिलाओं बच्चों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए मुख्य रूप से उनकी स्थापना की गई थी। लेकिन कुछ राज्य इन अदालतों को समय पर क्रियान्वित नहीं करते वर्तमान में देश में घोषित लगभग 2600 फास्ट ट्रैक कोर्ट में से केवल 785 सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं।

समाजिक प्रभाव : न्याय किसी भी देश की व्यवस्था का मूल स्तम्भ होता है किन्तु यदि न्याय समय से न मिल सके तो वह कमजोर पड जाता है। उसके महत्व में भी कमी आती है जिस वजह से समाज में अव्यवस्था व सामाजिक

असमानता व्याप्त होती है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य : भारत में आजादी के पहले से ही न्याय में जटिलता विद्यामान थी आजादी के बाद कुछ सुधार जरुर किये गये परंतु विचाराधीन मामलों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती रही आज यह एक स्थाई समस्या बन गई है।

सामाजिक जीवन पर प्रभाव : न्याय में देरी से संबंधित व्यक्ति और उसके परिवार पर मानसिक तनाव सामाजिक बोझ पड़ता है। समाज में दोषियों के प्रति भय कम हो जाता है। पीड़ितों को न्याय में देरी के कारण से असुरक्षा बढ़ती है।

शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर प्रभाव :लंबे समय तक चलने वाले मामलों के कारण पीड़ित व्यक्ति व परिवार आर्थिक संकट में फंस जाता है, इस वजह से बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है मानसिक स्थिति ठीक ना होने के कारण अक्सर स्वास्थ्य खराब रहता है एवं आर्थिक क्षति निरंतर चलती रहती है। बार-बार वकीलों को पैसा देना, आने-जाने का खर्च बहन करना यह सब जिससे आर्थिक दबाव भी बढ़ता है।

व्यक्तियों के बीच आविश्वास : जब किसी व्यक्ति को वर्षों तक न्याय नहीं मिल पाता तो उसका विश्वास न्यायालय पर कम हो जाता है यह स्थिति जनतंत्र की विश्वसनीयता को चुनौती देती है।

मानवाधिकार और मानवीय मूल्य पर प्रभाव : न्याय में देरी से व्यक्ति के मानव अधिकारों का हनन होता है। क्योंकि निर्दोष व्यक्ति जेल में बंद रहता है, जबकि दोषी समाज में घूमता है व्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा कमजोर हो जाती है। सामाजिकता में भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है।

वादी और अभियुक्त की स्थिति : न्याय में विलंब से पीड़ित पक्ष कई कई वर्षों तक न्याय के लिए प्रतीक्षा करता है वही दोषी व्यक्ति लंबे समय तक मुकदमों की जटिल प्रक्रिया तारीख पर तारीख के कारण जीवन में हर समय तलवार लटकती रहती है दोनों पक्ष मानसिक सामाजिक व आर्थिक रूप से टूट जाते हैं।

सामाजिक शांति प्रभावित : जब अपराध करने वालों को दोषी सिद्ध होने व उनको दंड मिलने में कई वर्षों लग जाते हैं तो समाज में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है जिस वजह से सामाजिक अव्यवस्था और आपसी तालमेल पर गंभीर असर पड़ता है।

महिला बच्चों एवं कमजोर वर्ग पर प्रभाव : महिला उत्पीड़न बच्चों का शोषण संपत्ति विवाद से जुड़े मामले कई-कई वर्षों तक चलते रहते हैं। ग्रामीण व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कानूनी खर्च नहीं उठा पाते जिसका परिणाम यह होता है कि वह न्याय पाने से भी वंचित रह जाते हैं।

अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य व तुलनात्मक प्रभाव : विकासशील देशों की तरह विकसित देशों में न्याय व्यवस्था नहीं है वहां पर समय बद्ध न्याय के लिए मजबूत तंत्र उपस्थित है। हमारे देश की तुलना में वहां पर मामले जल्दी निपटाए जाते हैं। भारत को वहां से कुछ सीख लेनी चाहिए जिससे लोगों का समय धन व स्वास्थ्य बच सके।

सुधारात्मक उपाय व सुझाव :

1. न्यायिक प्रक्रिया में पड़े रिक्त पदों को भरना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाया जाए
2. नई तकनीकी का अधिक से अधिक प्रयोग न्यायालय में किया जाना चाहिए।
3. अनावश्यक तर्कहीन आपत्तियों से बचना चाहिए।
4. लोक अदालतो व मध्यस्थ सेंटरो का विस्तार होना चाहिए।
5. वैकल्पिक समाधान व्यवस्था में सुधार होना आवश्यक है।
6. न्यायाधीशों के लिए बाध्यकारी नियम होना चाहिए जिससे उनका नैतिक आचरण सत्य निष्ठा सुनिश्चित हो सके।
7. न्याय में जवाब देही तय होनी चाहिए अनुशासनात्मक गतिविधियों में पारदर्शिता को बढ़ाना चाहिए।
8. कर्मचारियों के रिक्त पड़े पदों को भरना चाहिए जिससे कार्य का निष्पादन समय से पूरा किया जा सके।
9. न्यायालय में भ्रष्टाचार पर कठोर निगरानी रखनी चाहिए ताकि गरीब लोगों को न्याय मिल सके।

10. न्यायालय में वादी व प्रतिवादी से जो पैसा कर्मचारी लेते हैं तरीकों पर उस पर तत्काल रोक होनी चाहिए।
11. गरीब अनाथ व महिलाओं को निशुल्क कानूनी सहायता मिलना चाहिए।

निष्कर्ष : भारतीय न्याय में देरी न केवल कानूनी और नैतिक समस्या है। बल्कि सामाजिक आर्थिक विकास को अवरोधित करना भी है। उपरोक्त समंक यह दर्शाते हैं कि कई करोड़ मामले कई-कई वर्षों तक विचारधीन रहते हैं। न्याय प्रक्रिया अत्यंत धीमी है, न्यायालय में जजों की कमी एक बहुत ही गहरी समस्या है। न्याय में देरी से देश के सकल घरेलू उत्पाद पर भी प्रभाव पड़ता है। एवं निवेश हतोत्साहित होता है, लोगों का न्याय के प्रति भरोसा कम होता जा रहा है। सुधार हेतु देश में मानव संसाधन में वृद्धि नई तकनीक का प्रयोग प्रक्रिया में सरलता व्यावहारिक समाधान और संरचना में सुधार आवश्यक है। इन सभी बातों का पालन करके देश को एक मजबूत न्याय प्रणाली दी जा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ:-

- **पुस्तकें एवं शैक्षणिक प्रकाशन :**

1 Baxi, Upendra (2012). The Crisis of the Indian Legal System. Vikas Publishing, New Delhi.
2 Galanter, Marc (1984). Competing Equalities: Law and the Backward Classes in India. Oxford University Press.
3 Sathe, S.P. (2002). Judicial Activism in India: Transgressing Borders and Enforcing Limits. Oxford University Press.
4 न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर (2001). भारतीय न्यायपालिका : समस्याएँ और समाधान. दिल्ली : ईस्टर्न बुक कम्पनी.
5 उपेन्द्र बक्शी (2005). भारतीय विधिक व्यवस्था का संकट. दिल्ली विश्वविद्यालय प्रकाशन.
6 न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा (2000). न्यायिक सुधार और भारतीय लोकतंत्र. भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली.
7 एस.पी. सतहे (2008). भारतीय न्यायपालिका और न्यायिक सक्रियता. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (हिंदी अनुवाद संस्करण).
8 भारत सरकार, विधि आयोग (2014). भारतीय न्यायालयों में मामलों का लंबित बोझ और समाधान. नई दिल्ली.

- **सरकारी/संस्थागत रिपोर्टें :**

9 राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) – भारतीय न्यायालयों में लंबित मामलों का सांख्यिकीय विश्लेषण (2023).
10 विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार – भारतीय न्यायालयों का वार्षिक प्रतिवेदन (2022, 2023).

- **ऑनलाइन स्रोत एवं वेब डेटा :**

11 StudyIQ (2025). Judicial Backlog in India.
12 Wikipedia (2025). Pendency of Court Cases in India.

- **समाचार लेख :**

13 द हिंदू (हिंदी संस्करण) (2023). "भारतीय न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या 5 करोड़ पार।"
14 दैनिक भास्कर (2024). "लाखों केसों के कारण न्यायपालिका चरमराई, समाधान क्या?"

•